

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/ग्रा.नर्स-2/स्थाईकरण/2017/

दिनांक:-

संशोधन आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2/ग्रा.नर्स-2/स्थाईकरण/2011/1217 दिनांक 09.11.2011 के क्रम सं० 23 पर अंकित श्री कालू खटीक, नर्स-2 के स्थाईकरण आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कार्मिक की प्रथम नियुक्ति तिथि 18.08.2009 के स्थान पर 13.08.2009 एवं प्रोबेशन पूर्ण करने की तिथि 17.08.2011 के स्थान पर 12.08.2011 पढ़ी जावे। शेष यथावत ।

—Sd—

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/ग्रा.नर्स-2/स्थाईकरण/2017/ 856

दिनांक:-10.11.17

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा को उनके पत्र क्रमांक 5719-21 दिनांक 06.07.2017 के क्रम में भेजकर लेख है कि कार्मिक की प्रथम नियुक्ति तिथि 13.08.2009 के स्थान पर 18.08.2009 अंकित करने वाले दोषी कार्मिक से स्पष्टीकरण प्राप्त कर निदेशालय को अवगत करावें।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कोटडी, जिला भीलवाडा।
3. संबंधित कार्मिक द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
5. आदेश/निजी पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर